प्रेस नोट थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा हत्या में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार..

दिनांक 26.06.2021 थाना हरीपर्वत पुलिस टीम को गश्त के दौरान स्पीड कलर लैब के पास बरामदे में एक व्यक्ति जिसके सिर में चोट का शव बरामद हुआ। शव का पंचायतनामा भरकर मोर्चरी भिजवाया गया। मृतक की शिनाख्त राजेन्द्र यादव के रुप में हुई। उसके उपरान्त आस-पास के सीसीसटीवी कैमरों को चैक किया गया तो एक व्यक्ति तेजी से भागता दिखाई दे रहा है। जिसके सम्बन्ध में मृतक राजेन्द्र की पुत्री शबनम को फुटेज दिखाकर पूछा गया तो शबनम द्वारा बताया गया कि यह व्यक्ति राजू है जो मेरी मम्मी के साथ रहता था और पानीपत में सोनी कबाड़ी के यहाँ काम करता था जो मेरे पिता राजेन्द्र के सिर में सिलेण्डर मारकर हत्या करके भाग गया है। इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर मु0अ0सं0 241/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी हरीपर्वत के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी हरीपर्वत को टीम गठित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में दिनांक 07.07.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन की चैकिंग की जा रही थी, इस दौरान मुखबिर खास ने सूचना दी कि संजय प्लेस स्पीड कलर लैब के पास एक व्यक्ति की सिलेण्डर मारकर हत्या करने वाला राजू एक महिला के साथ भगवान टॉकीज चौराहे पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं।

➢ पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण:-

मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम बताये गये स्थान पर पहुँची। पुलिस टीम द्वारा भगवान टॉकीज से सिकन्दरा की तरफ दोनों अभियुक्त/अभियुक्ता को घोर-घोट कर एक बारगी की दबिश देकर गिरफ्तार कर लिये। अभियुक्तगण के कब्जे से रुपये 60-/ बरामद किये गये।

➢ पूछताछ का विवरण -

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर अपना नाम 1. राजू उर्फ सुखदेव पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम सिरसिरा थाना सालोन जनपद रायबरेली 2. जेमव पत्नी राजेन्द्र यादव निवासी गुसियारी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद बताया। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि मैं और राजू प्रेम करते थे। मैंने राजेन्द्र से शादी करने से पूर्व भी 4 शादियाँ की हैं लेकिन मैं राजेन्द्र के साथ रहना चाहती थी इस बात को लेकर राजू और राजेन्द्र में कहा सुनी हो गयी और राजू ने राजेन्द्र के सिर पर सिलेण्डर मार दिया जिससे राजेन्द्र की मौके पर ही मृत्यु हो गयी। मैंने हत्या के बाद सिलेण्डर को सामान में

छिपा दिया व खून के कपड़ों को झाड़ियों में फेंक दिया और बच्चों पुलिस को झूठी कहानी बताने को कहा गया कि चार लोग आये थे ओर पिता को मार कर चले गये।

➢ गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. राजू उर्फ सुखदेव पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम सिरसिरा थाना सालोन जनपद रायबरेली।
02. जेमव पत्नी राजेन्द्र यादव निवासी गुसियारी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

➢ बरामदगी का विवरण-

01. रुपये 60-/ ।

➢ आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 241/21 धारा 302/201 भादवि थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

➢ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अरविन्द कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
02. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
03. है0कां0 रंजीत कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
04. कां0 कमल सिंह थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
05. कां0 राहुल कुमार थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।
06. म0कां0 निशा थाना हरीपर्वत जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।